संख्या- **31/2018/754/12-3-2018-100(61)/12**टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**

उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ: दिनांक**: 16** जुलाई**, 2018**

विषय:- सोलर फोटोवोलटैइक इरीगेशन पम्प योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-शो0एवं मृ0सर्वे/764/सोलर पम्प/2018-19 दिनांक 28 जून, 2018 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1074/12-3-2017-100(61)/2012टी.सी., दिनांक 25.10.2017 तथा शासनादेश संख्या-09/12-3-2018-100(61)/12टी.सी., दिनांक 08.02.2018, शासनादेश संख्या-940/12- 3-2017-100(10)/ 2014टी.सी.।, दिनांक 18.09.2017, शासनादेश संख्या- 453/12-3-2018 -100(10)/ 2014टी.सी.।, दिनांक 06.06.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 18.09.2017 एवं शासनादेश दिनांक 06.06.2018 के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम पोर्टल पर की गयी मांग के अनुसार पंजीकृत कृषकों में से ''प्रथम आवक-प्रथम पावक'' के आधार पर सूची निकालकर उनका सत्यापन कराने के उपरांत चयन करते हुए बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने हेतु कृषकों को 30 दिन का समय प्रदान किया जाता है। उक्त प्रक्रिया में अधिकांश ऐसे कृषकों का चयन हो जाता है, जो योजना के विषय में या तो कोई जानकारी नहीं रखते है अथवा सोलर पम्प योजनान्तर्गत कृषक अंश की धनराशि गत वर्षों की तुलना में अधिक होने अथवा उपयुक्त बोरिंग/जल स्तर न होने इत्यादि कारणों से बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराते हैं। फलस्वरूप कृषकों के चयन की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी हो गयी है। गत वर्ष पोर्टल से 35,261 इच्छुक कृषकों की सूची में से मात्र 4147 कृषकों द्वारा बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराये जा सके। फलस्वरूप लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी।

इसी के साथ ऐसे कृषक भी हैं जो पंजीकृत होते हुए सोलर पम्प प्राप्त करने के इच्छुक भी हैं तथा बैंक ड्राफ्ट भी समय से उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहते हैं, किन्तु उनका क्रम न आने से वह लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। इस प्रकार सोलर पम्प योजना के लाभाथ्ाी कृषकों की चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना हेतु कृषकों की चयन प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

1. गत वर्ष के अवशेष 5853 सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दिनांक 18 जुलाई, 2018 से 18 अगस्त, 2018 तक **''**पहले बैंक ड्राफ्ट लाओं**-**पहले सोलर पम्प पाओं**''** का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस विज्ञापन में जनपदवार लक्ष्य (हार्स पॉवर के अनुसार) को इंगित कर दिया जायेगा।
2. दिनांक 18 अगस्त, 2018 तक ऐसे पंजीकृत कृषक जो बोंरिग एवं जल स्तर की उपयुक्तता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा देगें, उनको बेंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के आधार पर ''पहले आओ-पहले पाओ'' की सिद्धांत लगाते हुए चयनित किया जाएगा।
3. लाभार्थी कृषकों का चयन विकास खण्ड/जनपद हेतु आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जायेगा।
4. किसी विकास खण्ड में कम बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने पर जनपद के दूसरे विकास खण्ड के कृषकों का चयन जनपद के लक्ष्यों की सीमा तक किया जा सकेगा।
5. यदि किसी जनपद में लक्ष्य से कम बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं, तो ऐसे जनपद जहॉ अधिक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए है, के लक्ष्यों में परिवर्तन करते हुए पुन: अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

6. जनपद में लक्ष्य से अधिक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने पर उसे आगामी वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध समायोजित कर दिया जाएगा।

7. इच्छुक कृषक सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय में सम्पर्क कर सोलर पम्प हेतु सहमति एवं किस संस्था के नाम से कृषक अंश का बैक ड्राफ्ट बनवाया जाना है, की जानकारी प्राप्त कर स्वयं कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना बैक ड्राफ्ट अपलोड कर सकेगें। बैंक ड्राफ्ट को मूल रूप में उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद उप निदेशक कार्यालय द्वारा संबंधित कृषक को प्रदान की जाएगी। उस जनपद के लिए चयनित संस्था का नाम, जिसके नाम से ड्राफ्ट बनाया जाना है, का उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा।

8. यदि कृषक स्वयं इसे पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाता है तो उसके द्वारा बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराने पर कृषि विभाग के द्वारा पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।

9. बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति की दिनांक एवं समय सहित रसीद कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. कृषक द्वारा पोर्टल पर बैंक ड्राफ्ट अपलोड करने के एक सप्ताह के अन्दर उप कृषि निदेशक के द्वारा बोरिंग, जल स्तर, विद्युत कनेक्शन आदि का सत्यापन करते हुए अपनी सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर आन लाइन अपलोड करनी होगी। यदि बैंक ड्राफ्ट अपलोड होने अथवा कृषक द्वारा सीधे बैक ड्राफ्ट उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराने के एक सप्ताह के अन्दर उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापन कराते हुए सत्यापन रिपोर्ट अपलोड नहीं करायी जाती है तो पोर्टल आन लाइन सिस्टम द्वारा उस किसान को पात्र मान लिया जाएगा। यदि सत्यापन न करने के कारण अन्यथा स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए उप कृषि निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

11. उक्तानुसार वर्तमान वर्ष के 10,000 लक्ष्यों के चयन हेतु ऐसे कृषक जो पोर्टल पर पंजीकृत रहते हुए सोलर पम्प प्राप्त करने के इच्छुक है, को दिनांक 10 सितम्बर, 2018 से 10 अक्टूबर के मध्य कृषक अंश के बैक ड्राफ्ट सम्बन्धित उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करते है, उन्हें सोलर पम्प प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पुन: समाचार पत्रो में विज्ञापन निकालकर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

2- उपरोक्त शासनादेशों के अन्य प्रस्तर/बिन्दु यथावत् रहेंगे।

3- कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के प्रस्तरों में उल्लिखित संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद**)**
प्रमुख सचिव

संख्या- 31/2018/754(1)/12-3-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा, बापू भवन, लखनऊ।
5. मुख्य स्टाक आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10. संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
11. मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
13. सहायक निदेशक(समन्वय एवं कम्प्यूटर) कृषि भवन, लखनऊ।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा**0** राम चन्द्र शुक्ल**)**
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in